			PGDCA	M.Sc.III	M.Sc.I S	M.A.III	M.A.I S	M.A./MSc.	M.A./MSc.	M.A. III	M.A. 15	M.A. III	M.A. 1 S			B.Sc, P	B.Sc. P	B.Sc. P	B.Sc. P	B.Sc. P	B.Com. Part-3	B.Com. Part-2	B.Com. Part-1	BA Part-3	BA Part-2	BA Part-1			PROGRU		
GRAND TOTAL :-	IVIAL -	TOTAL		M.Sc.III Sem (Food & Nutrition)	M.Sc.I Sem.(Food & Nutrition)	M.A.III Sem.(AIH)	Sem.(AIH)	Sc. III Sem.(Anthropology)		3	M.A. I Sem.(Political Sc)	M.A. III Sem.(Sociology)	I Sem.(Sociology)	TOTAL :-	Part-1 (Home Sc.)	Part-1 (Home Sc.)		Part-3 (Bio+Maths) (210+60)	Sc. Part-2 (Bio+Maths) (210+60)	Sc. Part-1 (Bio+Maths) (210+60)	Part-3	Part-2	Part-1	-3	-2	-1			PROGRAM NAME		
2025	202	40		30	30	10	10	25	25	20	20	20	20	1770	30	30	30	270	270	270	50	50	50	240	240	240	TOTAL	catego	Nur		P
242	87	3	ית	A	4	_	_	ω	ω	2	N	N	N	213	4	Δ.	4	32	32	32	6	6	6	29	29	29	SC	ory as	nber o		
647	8	-	1 2	1	10	ω	ω	8	8	6	0	6	6	587	10	10	10	88	86	86	16	16	16	77	77	77	ST	per G(	fseat		
780	36	0			4	-	_	4	4	3	ω	ω	3	240	1		4	38		ω	7	7	7	34	34	34	OBC	OI or S	searm		1
407	14	N		1 0	0	_	-	-					, a			1 0				_		3	ω	12			OBC Divyan gjan	category as per GOI or State Government rule	Number of seats earmarked for reserved	2020-21	(mail
202	87	17	9		0.	Δ.	4	8	. 00	7	7	7	7				T						16	81		81	Gen	or resei /ernme	r resei	-	
	9	-	_	_									. 04												-	_	Gen Ohters	nt rule	Ved		
	114	44	10	18			5 4	A 0	00 0	7 0	4 0					T				5	2 24			7 100		88	TOTAL		Nun		
4	2	ω	0	_	0			- 10					34														L SC		Number o		
-	42	19	4	ω	0	2		0					423		3				T	_	_	T	N		6		ST		fstud		
07	20	0	4	7	0	0	_		1 2				-										5		49	N	OBC	cat	ents ad		
0															4	4	4	0	200	30.		ω	5	21	7	80	C Divyan gjan	category	of students admitted from the reserved		
	T	T	1					T	T			$\vdash$	0				-	+	+	+	+	+	+	-	-				from t		
40	13		2 -	7	0	0	N	ω	N	G	N	4	251	N	Ch	G	37	39	00		0	11	12	32	15	26	Gen		he res		
0					,	1		,					0														Others		erved		

## कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) (Email - highereducation.cgagmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in) कमांक 1684/214/आउशि/सम./2021 प्रति. नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक14-07-2)

- 1 कुलसचिव, समरत विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ 2. प्राचार्य,
  - समस्त अग्रणी महाविद्यालय. छत्तीसगढ

विषय :-

सदर्भ :-

ewang.

2

छत्तीसगढ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिघ्दांत जारी करने

अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 03.07.2021।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छ ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त-शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्यांत 2021–22 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार। (आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.पी.खेरवार) अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक14-07-21

- पु.कमांक 1685 / 214 / आउशि / सम. / 2021 प्रतिलिपि :-
  - 1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य भे स्चनार्थ।
  - 2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

2021

अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

d:\praveen letter 2021\letter.docx222

No.: L-201		22 1	145
AD CK		)//D	D
Section	Ø	theay	6
Date 6		20.21	CHER
4	006	2021	

## जिला-रायपुर ---00-----

छत्तीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग ःमंत्रालयः महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक, एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 03/7/2021 प्रति

> आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन. नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर ।

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2021–22 हेतु प्रवेश विषय:-मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्। आपका ज्ञापन कमांक 1563/214/आउशि/सम/2021 दिनांक 16.06.

संदर्भ:-

651

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

-----00-----

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के 2/ लिये शैक्षणिक सत्र 2021–22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

2021

(ए.आ ्र अवर सचिव

छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर। निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल

- नगर, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल। 3.

अवर सचिव छ०ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

214/021

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की रनातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सत्र 2021–22

प्रयुक्ति :-

12

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एव 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करन होगा। 'प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोजन कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

- प्रवेश की तिथि :--
- 21 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :--

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु 'ऑनलाईन' फार्म जमा कराया जावना जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित विव्य जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राच्चार्य शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्यां के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक स्तर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों स्व निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(a) प्रवेश हेतु वोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सकत के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये क सकेंगें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्घारित करना :-

रथानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य खयं तथा 15 सितद तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परंख परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्र चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया ज्य

125

Scanned by PDF Scanner

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र अरपुर आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने क स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवन्न लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (य) क किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे किसी में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर रथानांतरण होते ही. रशान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित आंतम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों क 22 पुनर्भूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय क कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय रथान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्याकन/पुनर्मणना उत्तीणं छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

- प्रवेश संख्या का निर्धारण :--3
- महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलक उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छान् 3.1 संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपन प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्ष विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।" विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन 32 (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित 33 विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदको क प्रवेश देंगे।

3Å

किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र में प्रवेश होने ते. आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने ते.

रिधति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

22

स्पष्टीकरण :-आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रतार लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब'' में हो गया, इस स्थान (ब) क किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है. रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रयेश दिया किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है. रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रयेश दिया जायेगा। आवेदक 'ख'' ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे. किसी म महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही. स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित आंगर (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित आंगर

तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता। पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उल्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्घारित करना :-विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उल्तीर्ण छात्रों क पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय क कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि स्वाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय न रत्यान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना : उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्ययरथा, प्रयोगशाला में उपलब 3. उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छा 3.1 संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचाय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपन प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्ष विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कायंवाही करे।" विधि रनातक प्रथम, द्वितीय ,तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम वी.ए.एल.एल.वी. की कक्षाओं बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन 3.2 (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित 3.3 विषय / विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदको क प्रवेश देंगे।

## प्रवेश सूची :-

प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए. प्रवेश हत् चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है. वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

- 2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिला-प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवः शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण–धन्न पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- अत्यानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त की सील लगाकर की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त की सील लगाकर की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त की सील लगाकर की सील लगाक की सील लगाकर की सील ल का सील लगाकर की सील ल का सील लगाकर की सील ल का सील ल
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर स्व कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति - व
- 45 रथानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आघार पर प्रवेश नही दिया न रथानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने रएफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधि तर्पोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो. प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये
  4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संवीध गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/ तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/ तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/ तोडफोड आदि राष्ट्र गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/ अनुशासनहीनता राष्ट्र राष्ट्र नक्र राष्ट्र राष्ट्र रेंगिंग राष्ट्र रेंगिंग राष्ट्र रेंग्रे रेंग्रे राष्ट्र राष्ट्र रेंग्रे राष्ट्र रेंग्रे रेंग्रे राष्ट्र रेंग्रे राष्ट्र राष्ट्र रेंग्रेग्र रेंग्रे रेंग्रे राष्ट्र रेंग्रे रोक राष्ट्र राष्ट्र रेंग्रे रेंग्रेग्रे राष्ट्र रेंग्रे राष्ट्र रेंग्रेंग्रे राष्ट्र रेंग्रे रेंग्र रेंग्रेंग्रे रेंग्रे रेंग्रे राष्ट्र रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रे रेंग्र रेंग्रे रेंग्रे रेंग्र रेंग्रे रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्रे रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्रेंग्र रेंग्र रेंग्र
  - गोपनीय रिपोर्ट जारी करगे कि संबोधत छोत्र रोगा/ जुस्तराव कर उस महाविद्यालय संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। 4.7 "राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर म
  - 4.7 'राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राग्य गरेए राग्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राग्य राग्य राग्य गरेए राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राज्य राग्य राग्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राग्य राज्य राग्य राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राग्य राज्य राज्य राज्य राज्य शासन, द्वारा, शासकीय महाविद्यालया न अव्यय गरेए राग्य राज्य राज

B

5 प्रवेश की पात्रता :--

- 51 निवासी एवं अईकारी परीक्षा :-
  - (क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या देन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

UNAL PRAVESH MARGDARSHIKA 2021-22

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्या / बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पान होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्च ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 52 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश :-
  - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पाजन होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश ना दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छ को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियो केवल कला सकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंत् यदि अभ्यार्थी ने वाणिज्य सक के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य सकाय म प्रवेश की पात्रता इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान सकाय अल बी एस सी. (बायो / गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
    - (ख) रनालक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषय कमश द्वितीय / तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
  - स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-53
    - बी कॉम / बी एस.सी. (गृह विज्ञान) / बी.ए. रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कः (क) एम कॉम / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए – प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय वी.एस सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यर्थियों को प्रवश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरं कं अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होगे।
    - रनातकोत्तर प्रथम वर्ष जत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वध नियगित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्त' (ख) आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

रनालकोत्तर कक्षाओं हेतु ए टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम -

60/

1. रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदका (刊) प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

- 2. रनातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमा क अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
- रनालक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि रनालक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश के (45) पात्रता होगी।
- विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश क (ख) पात्रता होगी।
- एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको क (刊) कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पालत होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।
- प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--
  - ंविधि रनातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुस्तित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछडा वर्ग 42% होगी। तथा विक (क) रनातकोत्तर पूर्वाद्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूचित जाति / ओ बी सी हेंदू 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।' AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोरित
- पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे। 56
- सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.). इंडियन कौसिल फार सेकेण क एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 ह 61 परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोड 👘
- सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसोसिएशन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा 🖘 6.2 समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी 👘 विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र / ऑफ केम्परा आदि खोलकर छात्र–छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा 🕛 संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा। सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सरथाओं की सूची ए

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहा-

Ra

6.3

विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

Scanned by PDF Scanner

वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualificana Framework) के अतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक रत के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिक प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1–52/2013 (सी.स. एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कोशल अहेता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता सरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्व ए तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि न 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 स स्तर 10 तक के प्र-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डी द्वारा ह को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित रतर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पांस +2 सार में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपस अनुरोध है कि 🎼 समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम न दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य निकार की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गल्यात्मवान के लिए सुअवसर मिल सकें।"

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--

रनातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यकम होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीः की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवंश की पात्रता है सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहा आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश ि जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पन्न अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व के परीक्षा या प्रथम. द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय व की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण

Ar

ल करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कहा। में नियमित प्रवेश दिय

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किए भी प्रकार की झूठी / गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराय विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान सिक्त होने पर ना महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक काल अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त निर्णामेत 8 अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। रनालकोत्तर सेमेरटर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को उन विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धासित एग्रीमेंट 48 प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश ह 83 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अख्यायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य हि व 84 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षा में पुनः नियमित प्रतेष्ट की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सन्न में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नह लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहं नहीं माना जावेगा. उसे मात्र 👘 9.1 रथानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिय जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरन वल रहे हों. परीक्षा में या पूर्व सन्न में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के र दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुचार परिलक्षित नहीं हुआ हो. ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। Per

महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की सपत्ति को नष्ट करने वाले / रेगिव आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निय किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासका. म्हाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

- ज्वेश हेतु आय्-सीमा :-
- रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आग (0) के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवादत वर्ष क जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिलोमां में प्रवेश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड.एव एम.पी.एड. क लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
- आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मत्रालय/कार्या (ख) तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेत् भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विंदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।
- (ग) विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान रामण्ड किया जाता ह
- संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा रनातकोत्तर प्रच (田) सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- विधि सकाय को छोडकर अनुस्त्रित जाति/अनुस्त्रित जनजाति, पिछडा यगं/मा (3) आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों क लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि 🤤 95 लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्त ।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। २६ किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

- प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्घारण :--10.
- 10.1
- उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा। (क) रनातक एवं रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभा
  - देय है तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अकों के आधार पर तथा विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हा
  - विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी। (रब) अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

102

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--स्नातक / रनातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताक क आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। स्नातक / रनातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार. अर्हकारी परीक्षा में उत्तीण नियमित / उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित / स्वार्थ विद्यार्थियों के कम में होगा। विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करन वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे. अन्य कम यथावत रहेगा। रनातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसा महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए। किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की रनातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा। आरक्षण-छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -प्रत्येक शैक्षणिक सन्न में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा. अर्थात अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बल्तीस प्रातः (西) सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी। अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से बारह प्रतिशत (ख) सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी। अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिक सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातिया (1) साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम न पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलक के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे विपरीत कम म विद्यार्थियों में से भरा जाएगा। परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी. जहाँ खण्ड (का (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इस

अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

122 (1)

विन्दु क 121 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटो का आर उध्वधिर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा। निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको / मृतपूर्व राभव स्वतंत्रता सच्छ

Res

सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण (2) प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियन व

al

ARGDARSHIKA 2021-22

प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के ि 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदको के लिए 5 प्रतिशत आरक्षित रहेगे।

सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होग आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की स्थे यथावत् अप्रमावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मर्भ जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध ना<sup>4</sup> होगा. 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एव होगी।

जम्मू—कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भरत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04 2014 की कंडिका 129(3) में 1 निर्देश दिया गया है कि– "We direct the Centre and the State Government to take Signature to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend a kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कडाई से पालन किया जाए।

• 3 अधिमार :-

1.2

15

127

12.8

129

12 10

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति क इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिमार देव होगा. अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आयेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार है। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर उ सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

FUL

## 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स

स्काउटस शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जावे।

- 10 -

(क) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट

(ख) एन.एस.एस / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट

LINAL PRAVESH ADVOLATESTICKA 2021-22

03 प्रतिशत

०२ प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	,
	04 प्रतिशत
ווין אראיינטער אין	04 प्रतिशत
[11]	Da sitteriti
में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को	
	- Auro
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़	05 प्रतिशत
के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने	
वाले विद्यार्थी को	an affanta
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत 10 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत 10 प्रतिशत
(डा) छत्तीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 sitter
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में	
भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए	
चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय	15 प्रतिशत
जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत
जम्बूरा का लिय पंचा ता ए 13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर	
<ul> <li>अगरा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर</li> <li>कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / रूपांकन प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / स्विच रियाक प्रतियोगिताएं -</li> <li>खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज / स्विच रियाक प्रतियोगिताएं -</li> <li>जिला. संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आग्र</li></ul>	नाग द्वारा आयोजित अतर योजित अंतर संभाग/क्षेत्र
स्तर प्रतियोगिता में :- (क) प्रथम. द्वितीय. तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचाद अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरका	02 प्रतिशत 04 प्रतिशत लनालय द्वारा आयोजित तरा आयोजित अर्न्तक्षेत्रभ्य ए आई यू द्वारा आयोजित र द्वारा आयोजित क्षेत्राय
प्रतियोगिता में '- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मं आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में '- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	06 प्रतिशत 07 प्रतिशत 05 प्रतिशत त्रालय, भारत सरकार हारा
(a) altanta yana	

करने वाले को

- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम
   12 प्रतिशत
   के सदस्यों को
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल
   एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/
   10 प्रतिशत
   कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को
- 5 छत्तीसगढ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता म
  - (क) छत्तीसगढ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत सदस्य को
  - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ की 12 प्रतिशत टीम के सदस्यों को
- 136 जम्मू-कश्मीर के विखापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

137 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के ! । एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्त अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगित भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में संत प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :--

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अत्र अपना अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा के बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 58 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न स्नातक प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न अधिभार स् मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सन्न के प्रमाण-पन्न अधिभार हेतु मान्य होंगे।

संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :--

- -

रनातक / रनातकोत्तार प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन कर प्र र चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारत किया जायेगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में रनातक / रनातक प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सन्न के दौरान संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणान

Scanned by PDF Scanner

हो पर कडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। ह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देव होगी जिनके प्राप्तांक सबधित विषय/ संकाय की गृह (णानुकम सूची में अतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो। शोध छात्र -

शासकीय महाविद्यालयों में पी एच डी के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जाये। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर को अनुशसा कर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आदेद-करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किय जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी निदेशन हेतु महाविद्यालय में पवरथ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत हैं अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के २० म कार्यरत है. तो सलम अधिकारी द्वारा प्रेषित तपस्थिति प्रमाण यत्र एव प्रति तीन मार' कार्य प्रगति रिपोट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी दास गण्ड हिस्स वर्ध आहरित किया जावेगा।

गहाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानातरण हो जाने की स्थित में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका हा अविदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबन्ध स्थ महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

विशेष :-

- जाली प्रमाण-पञ्चो, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यो प्रशासकीय प्रण कार्यालयीन असावधानीवज्ञ यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब एसे प्रवेश ह निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माट अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राण
- 16.3 प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कडिका 9.2 एव 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण -लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य क
- प्रतेश के बाद संज के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अध्यया उसका प्रवेश निरन होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सरावत निधि के अति:--अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धालों के स्पष्टीकरण या प्रवेश सबधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन न आवश्यकता होने पर प्रावार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हा 16.5 रपष्टीकरण/मार्गवर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर स प्राप्त करगे, प्रवेश रूज किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेमित लिखकर प्रेमित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्राक्यानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धालों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस-र संलग्न का संपूर्ण अधिकार खलीसगढ शासन उच्च शिक्षा विभाग मजालय को होगा।

Permine

गादलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)